कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम

राजस्थान आवासन मण्डल, सेक्टर–05, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

–:: आवश्यक सूचना ::–

राजस्थान आवासन मण्डल की गंगा अपार्टमेन्ट (द्वितीय–चरण) स्ववित्त पोषित योजना–2025 के उच्च आय वर्ग के 80 फ्लैट्स, महला आवासीय योजना विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2024 के अन्तर्गत कुल आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 49 आवास, अल्प आय वर्ग के 214 आवास एवं मध्यम आय वर्ग–अ के 102 कुल 365 आवास एवं माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में महला आवासीय योजना में एक आवेदक को मध्यम आय वर्ग–''अ'' का आवास आवंटन हेतु आवास/फ्लैट्स आवंटन लॉटरी **दिनांक 24.07.2026 को सांयः 3:00** बजे ''वेब बेस्ड प्रणाली'' द्वारा **कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त–प्रथम, सेक्टर–05, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर** में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त आवंटन लॉटरी का कार्यक्रम निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	कार्यक्रम का विवरण	दिनांक
1	योग्य/अयोग्य आवेदकों की अस्थाई सूची का प्रकाशन	**10.07.2026** सांय 6:00 बजे
2	आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	**17.07.2026** सांय 6.00 बजे तक
3	योग्य आवेदकों की स्थाई सूची का प्रकाशन	**22.07.2026** सांय 6:00 बजे
4	आवंटन लॉटरी का आयोजन	**24.07.2026 सांयः 3:00 बजे से**
5	संबंधित कार्यालय	उप आवासन आयुक्त, वृत–प्रथम, सेक्टर–5, प्रताप नगर, सांगानेर , जयपुर

नोट :–

1. आवेदक जिन्होंने आरक्षण/पूर्व ग्रहण राशि की किश्त जमा करा दी है तथा रसीद की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत कर दी है, उन्हें ही लॉटरी में सम्मलित किया जावेगा। यदि कोई आवेदक आरक्षण/पूर्व ग्रहण राशि की जमा रसीद कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रस्तावित आवंटन लॉटरी से वंचित रहेता है, तो उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा मण्डल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं भविष्य में इस सम्बन्ध में कोई आक्षेप स्वीकार्य नहीं होगा।
2. उपरोक्त योजनाओं में योग्य आवेदकों को आवंटन कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली से लॉटरी द्वारा मण्डल नियमानुसार किया जावेगा।
3. आवंटन हेतु योग्य आवेदको की सूची मण्डल की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb एवं वृत–प्रथम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगीं।
4. इच्छुक आवेदक निर्धारित दिनांक एवं समय पर लॉटरी कार्यक्रम में उपस्थित हो सकते है।

उप आवासन आयुक्त
वृत्त–प्रथम,रा.आ.मं.,जयपुर